न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 490/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हुक्मीचन्द पुत्र ओमप्रकाश		1. जीवणदास पुत्र पन्नादास
2. दिनेश पुत्र ओमप्रकाश		2. रामजोत पुत्र मदनदास
3. पूसादास पुत्र ओमप्रकाश		3. कमलादेवी पत्नि सुगनदास
4. रतनीदेवी पत्नि ओमप्रकाश		4. भंवरीदेवी पत्नि गोपालदास
जातियान–साद,निवासी–अमरपुरा		5. बलवीरदास पुत्र गोपालदास
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		6. कालुदास पुत्र गोपालदास
		7. दुर्गादास पुत्र गोपालदास
		8. गोरीशंकर पुत्र गोपालदास
		प्रतिवादीगण संख्या 6 से 8
		नाबालिग कुदरती वलिया माता
		भंवरीदेवी पत्नि गोपालदास
		9. चुतरदास पुत्र पूरणदास
		10. रामदास पुत्र पूरणदास
		11. रघुनाथदास पुत्र गोकलदास
		12. नाथूदास पुत्र गोकलदास
		जातियान–साद, निवासी–अमरपुरा
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
		13. उप पंजीयन अधिकारी एवं
		तहसीलदार, जैतारण (भूमिधारी)
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.11/12/2015**

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 10/07/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–अमरपुरा, पटवार हल्का–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 180 रकबा 48–10 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 की पेश की हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1–1 ही परिवार के सदस्य हैं तथा पन्नादास के वारिसान हैं। वंशावली अनुसार मूल पुरूष पन्नादास के वारिसान ओमप्रकाश (फौत) व जीवणदास हुए तथा ओमप्रकाश (फौत) के वारिसान हुक्मीचन्द दिनेश पूसादास रतनीदेवी हैं। खसरा नम्बर 180 रकबा 48–10 बीघा कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती खातेदारी दर्ज हैं, जिसका कानूनन बंटवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के किया जाना आवश्यक हैं। खातेदारान् की राजस्व रेकर्ड में शामलाती भूमि होने से वादीगण अपनी कृषि भूमि को काबिल काश्त / विकास हेतु खाद बीज के लिये बैंक से ऋण लेने में कठिनाई पैदा होती हैं तथा किसान कार्ड बनाने में कठिनाई आती हैं तथा वादीगण अपनी कृषि भूमि में अलग से कुआ खुदवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन नहीं ले सकते हैं। इस कारण से अपनी कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने में कठिनाई होती हैं। इतना ही नहीं शामलाती भूमि में आये दिन प्रतिवादीगण दखल व दस्तन्दाजी करते हैं तथा खेतो में खड़े हरे वृक्ष को भी काटकर बेचान कर देते हैं तथा उनकी खन्दक को भी खुर्दबुर्द व तोड़फोड़ करते हैं। वादीगण ने अपनी कृषि भूमि के बंटवाड़ा बाबत् दिनांक 01/12/2015 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट ईन्कार हो गए। इसलिए यह वाद वादीगण ने बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि जमाबन्दी में शामलाती खातेदारी में दर्ज हैं। जिसका बंटवाड़ा कानूनन किया जाना आवश्यक हैं। वादी संख्या 1 से 3 के पिता व वादी संख्या 4 के पति की मृत्यु हो जाने से वादीगण अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि में काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के हिस्से में आयी भूमि में दिन प्रतिदिन दखल व दस्तन्दाजी करता हैं। हरे वृक्षों को काट लेता हैं। शामलाती भूमि को बिना बंटवाड़ा करवाये एक अजनबी क्रेता को बेचान कर देता हैं, तो वादीगण अपने हक व अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा व पक्षकारान् के बीच अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व अन्य को उक्त भूमि के कानूनन बंटवाड़ा हेतु निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 01/12/2015 को यह ऐलानिया धमकी दी कि मैं शामलाती भूमि का बेचान कर अजनबी क्रेता को कब्जा सुपुर्द करूगां। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 अपने कृत्य में सफल हो जाता हैं, तो वादीगण को अपने अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए शामलाती भूमि को प्रवितादीगण संख्या 1 को रोके जाने हेतु व गैरकानूनी कृत्य हरे वृक्षों को काटने मेढ़बन्दी को खुर्दबुर्द करने से रोके जाने हेतु यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 13 उप पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार हैं, जो बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। बिनायवाद दिनांक 01/12/2015 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से मना करने तथा शामलाती भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम-अमरपुरा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से यह वाद अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 13 बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने जबाबदावा पेश किया कि वाद में वर्णित वंशावली सही हैं। वर्णित तथ्यों खसरा भूमि के अनुसार सही हैं तथा इसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 का हक हिस्से का अधिकारी हैं। जिसमें पर अपने समझ से ही काबिज काश्त हैं। खसरा भूमि में वादीगण का पुश्तैनी हक हिस्सा बनाता हैं, जो शामलाती दर्ज हैं तथा न्यायतन कानूनन बंटवाड़ा किया जावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का खाता अलग कर तरमीम भी किया जावें तथा बंटवाड़ा कानूनन किया जावें तो रेकर्ड अनुसार हो। प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संख्या 1 व 2 बंटवाड़ा करवाने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक राजस्व रेकर्ड बंटवाड़ा करने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा जबाबदावें का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–अमरपुरा, पटवार हल्का–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 180 रकबा 48–10 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/187 दिनांक 28/02/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2017/3093 दिनांक 07/07/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रास में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–अमरपुरा, पटवार हल्का–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 180 रकबा 48–10 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	हुक्मीचन्द दिनेश पूसादास पि0 ओमप्रकाश, रतनीदेवी पत्नि ओमप्रकाश कौम–साद सा0 देह खातेदार।	180/1	6-01-00	बा0दो0
2	जीवणदास पुत्र पन्नादास कौम–साद सा0 देह खातेदार।	180/2	6-01-00	बा0दो0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

3	संतोषराम पुत्र जोगाराम कौम–माली, कमलादेवी पत्नि सुगनदास कौम–साद 1/3, गोपालदास चुतरदास रामदास पि0 पूरणदास, शांति बेवा पूरणदास 1/3, रघुनाथदास नाथूदास पि0 गोकलदास 1/3 कौम–साद सा0 देह खातेदार।	180	36-08-00	बा0दो0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 10/07/2017 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रोस में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)